संख्या: 1 /2020/1793 /सत्रह-म-2019-6-9 (333)/16 टी0सी0

प्रेषक,

एस0एम0ए0 रिजवी
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ दिंनाक 24 जनवरी, 2020

विषय ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास उप योजना हेतु वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा सामान्य मद में निर्गत केन्द्रांश के सापेक्ष 422 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 506.40 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 465 /नि0शा0,16-22(9)/वि0स्वी0-5 दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत 422 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु रू0 506.40 लाख (रू0 पॉच करोड छः लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत मछुआ आवास उप योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या-12012/27/ 2009-एफवाई(डब्ल्यू यू0) दिनांक 06.12.2019 के माध्यम से सामान्य मद में मछुआ आवास निर्माण हेतु केन्द्रांश धनराशि रू0 556.20 लाख, अनुसूचित जाति हेतु रू0 111.24 लाख एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 74.16 लाख को सम्मिलित करते हुए प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 लाख का 60 प्रतिशत अर्थात रू0 0.72 लाख की दर से कुल रू0 741.60 लाख की केन्द्रांश धनराशि अवमुक्त की गयी है। मछुआ आवास उपयोजना हेतु आय-व्ययक 2019-20 में प्राविधानित कुल बजट धनराशि रू0 1200.00 लाख में से रू0 693.60 लाख की वित्तीय स्वीकृतियॉ पृथक-पृथक शासनादेशों के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है, जिसके उपरान्त प्रश्नगत मद में रू0 506.40 लाख की बजट धनराशि अवशेष है।

3- अतः इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य मद में 422 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 303.84 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 202.56 लाख अर्थात कुल रू0 506.40 लाख (रू0 पॉच करोड छः लाख चालीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न तालिकानुसार श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजना के क्रियान्वयन हेतु

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

शासन के आदेश संख्या-20/2016/2362/सत्रह-म-2016-6-9(333)/16 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देश/गाइड लाइन्स , शासनादेश संख्या- 18/2017 /1128/ सत्रह-म-2017-6-9(333)/16 दिनांक 07 जुलाई, 2017 एवं शासनादेश संख्या- संख्या-2/2018 /2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 23 जनवरी,2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग- निर्देश में दिये गये निर्देर्शो व अन्य संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए अपितु आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 द्वारा निर्गत दिशा- निर्देशों/ प्राविधानों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि से क्रय की जाने वाली सामग्री आदि के सम्बंध में सामग्री /उपकरण क्रय विषयक संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में पी0एल0ए0/ डाकघर / बैंक में जमा नहीं किया जायेगा।

(9) धनराशि का आवंटन/एलाटमेंट मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो,तो उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(10) भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर- 5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु डी0बी0टी0 प्लेटफार्म का उपयोग तथा प्रस्तर-9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण EAT module of PFMS से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2019- 20 में अनुदान संख्या-17 के अधीन लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज योजना, 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान मद के नामें डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में दिये गये निर्देशों के क्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

6 - यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-57 / ई-1-दस-2020, दिनांक: 24 जनवरी, 2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एम0ए0 रिजवी)
विशेष सचिव।

संख्या- 1 /2020 / 1793 (1)/ सत्रह-म-2019 तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकादरी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन लखनऊ।
4- सम्बधित कोषाधिकारी, उ0प्र0।
5- वित्त एवं लेखाधिकारी,मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त (व्यय-नियत्रंण) अनुभाग-1/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियो0 अनुभाग-3 ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http:// shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या: 1/2020 /1793 /सत्रह-म-2019-6-9(333)/16 टी0सी0 दिनांक 24 जनवरी, 2020 का संलग्नक

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2019-20 में सामान्य वर्ग हेतु मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश (60%)	राज्यांश (40%)	योग
1	आजमगढ	20	14.40	9.60	24.00
2	बलिया	20	14.40	9.60	24.00
3	चित्रकूट	20	14.40	9.60	24.00
4	महोबा	20	14.40	9.60	24.00
5	गोण्डा	20	14.40	9.60	24.00
6	शाहजहॉपुर	20	14.40	9.60	24.00
7	जौनपुर	22	15.84	10.56	26.40
8	अलीगढ	20	14.40	9.60	24.00
9	हाथरस	20	14.40	9.60	24.00
10	मऊ	20	14.40	9.60	24.00
11	प्रयागराज	20	14.40	9.60	24.00
12	कौशाम्बी	20	14.40	9.60	24.00
13	हमीरपुर	20	14.40	9.60	24.00
14	जालौन	20	14.40	9.60	24.00
15	अम्बेडकर नगर	20	14.40	9.60	24.00
16	बदायूँ	20	14.40	9.60	24.00
17	बागपत	20	14.40	9.60	24.00
18	बुलन्दशहर	20	14.40	9.60	24.00
19	देवरिया	20	14.40	9.60	24.00
20	मुजफ्फरनगर	20	14.40	9.60	24.00
21	शामली	20	14.40	9.60	24.00
	कुल योग-	**422**	**303.84**	**202.56**	**506.40**

(कुल रूपये पॉच करोड छः लाख चालीस हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.in